

1 **आपराधिक प्रकरण कमांक:-1427 / 2013**

न्यायालय:- प्रतिष्ठा अवस्थी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद,
जिला भिण्ड (म0प्र0)

आपराधिक प्रकरण कमांक:-1427 / 2013

संस्थित दिनांक:-18 / 11 / 2013

फाईलिंग नम्बर 230303010692013

शासन द्वारा पुलिस आरक्षी केंद्र, गोहद चौराहा
जिला-भिण्ड म0प्र0

अभियोजन

बनाम्

1. भारत पुत्र रामबाबू कुशवाह उम्र-24 साल
 2. हरिओम पुत्र रामजीलाल कुशवाह उम्र-29साल
- समस्त व्यवसाय मजदूरी निवासीगण ग्राम -
डोंडरी पुलिस थाना मेहगांव जिला भिण्ड म0प्र0

आरोपीगण

(आरोप अंतर्गत धारा- 25 (1)(1-बी) ए आयुद्ध अधिनियम)

(राज्य द्वारा एडीपीओ -श्री प्रवीण सिकरवार)

(आरोपीगण द्वारा अधिवक्ता- श्री योगेन्द्र श्रीवास्तव)

// निर्णय //

// आज दिनांक 12/01/2017 को घोषित किया //

आरोपी भारत सिंह पर दिनांक 17/03/13 को 17:30 बजे ग्वालियर भिण्डहाईवे
ग्राम सौंधा मोड के पास वैध अनुज्ञप्ति के बिना एक 315 वोर का कटटा एवं एक जिंदा राउण्ड अपने
आधिपत्य में रखने हेतु आयुद्ध अधिनियम की धारा 25 (1)(1-बी) ए तथा आरोपी हरीओम पर घटना

2

आपराधिक प्रकरण क्रमांक:-1427 / 2013

दिनांक समय व स्थान पर वैध अनुज्ञप्ति के बिना एक 315 वोर का जिंदा कारतूस अपने आधिपत्य में रखने हेतु आयुध अधिनियम की धारा 25 (1)(1-बी) ए के अंतर्गत आरोप हैं।

2. संक्षेप में अभियोजन घटना इस प्रकार है कि दिनांक 17/03/17 को पुलिस थाना गोहद चौराहा के ए0एस0आई अशोक सिंह तोमर मय फोर्स प्र0आरक्षक ब्रजराज सिंह, आरक्षक मनोज, आरक्षक उग्रसेन, आरक्षक जितेन्द्र, आरक्षक सतेन्द्र सिंह के साथ प्राईवेट अधिकृत वाहन क्रमांक एम.पी.30 बी.सी.0351 से ग्राम बिरखडी की तरफ हाईवे रोड पर रवाना हुआ था दौरान भ्रमण उसे जरिये मुखबिर सूचना मिली थी कि भिण्ड ग्वालियर हाईवे रोड पर ग्राम सौंधा के पास दो व्यक्ति अवैध हथियार लिये सवारी का इंतजार कर रहे थे सूचना पर तत्दीक हेतु वह रवाना होकर ग्राम सौंधा मोड के पास हाईवे पर पहुंचा था तो वहां पुलिस को देखकर दो व्यक्ति भागने लगे थे जिन्हें फोर्स की मदद से घेरकर पकड़ा था नाम पता पूछने पर उन्होंने अपना नाम भारत एवं हरीओम बताया था। भारत की तलाशी लेने पर उसकी पेंट की बायीं तरफ कमर से एक 315 वोर का कटटा निकला था एवं हरीओम की तलाशी लेने पर उसके पेंट की दाहिनी जेब से एक 315 वोर का जिंदा राउण्ड तथा एक खोखा 315 वोर का मिला था दोनों आरोपीगण के पास कटटा कारतूस रखने बाबत लाईसेंस नहीं था। आरोपीगण से मौके पर ही कटटा कारतूस जप्त कर जप्ती एवं गिरफ्तारी की कार्यवाही की गई थी तत्पश्चात थाना वापिस आकर आरोपीगण के विरुद्ध [अप0क063 / 13](#) पर अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया था। विवेचना के दौरान साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये थे एवं विवेचना पूर्ण होने पर अभियोगपत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

3. उक्तानुसार मेरे पूर्वाधिकारी द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध आरोप विरचित किये गये आरोपीगण को आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपीगण ने आरोपित अपराध से इंकार किया है व प्रकरण में विचारण चाहा है आरोपीगण का अभिवाक अंकित किया गया।

4. दं0प्र0सं0 की धारा 313 के अन्तर्गत अपने अभियुक्त परीक्षण के दौरान आरोपीगण ने कथन किया है कि वह निर्दोष है उन्हें प्रकरण में झूठा फंसाया गया है।

5. इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न उत्पन्न हुआ है:-

1. क्या आरोपी भारत सिंह ने दिनांक 17/03/13 को 17:30 बजे ग्वालियर भिण्ड

3 आपराधिक प्रकरण क्रमांक:-1427 / 2013

हाईवे ग्राम सौंधा मोड के पास एक संचालनीय स्थिति वाला आयुध 315 वोर का कटटा एवं एक जिंदा राउण्ड वैध अनुज्ञप्ति के बिना अपने आधिपत्य में रखा?

2. क्या आरोपी हरीओम ने घटना दिनांक समय व स्थान पर 315 वोर का एक राउण्ड वैध अनुज्ञप्ति के बिना अपने आधिपत्य में रखा?

6. उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में अभियोजन की ओर से प्र0आर0 राजकिशोरसिंह आ0सा01,आरक्षक जितेन्द्र सिंह गुर्जर आ0सा02,आर्म्स क्लर्क दिनेश कुमार ओझा आ0सा03,ए0एस0आई अशोक सिंह तोमर आ0सा04,प्र0आर0 ब्रजराज सिंह आ0सा05 आरक्षक उग्रसेन आ0सा06 को परीक्षित कराया गया है जबकि आरोपीगण की ओर से बचाव में किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।

{ निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण }

विचारणीय प्रश्न क्र0-1 एवं 2

7. साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये उक्तदोनो विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

8. उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में जप्तीकर्ताअशोक सिंह तोमर आ0सा04 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया हैकि वह दिनांक 17/03/13 को प्र0आर0 ब्रजराज सिंह,आरक्षक उदय,आरक्षक उग्रसैन,एवं आरक्षक सतेन्द्र के साथ अधिकग्रहित जीप से इलाका गश्त के लिये रवाना हुआ था दौराने गश्त उसे मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि दो व्यक्ति ग्राम सौंधा के मोड पर हाईवे रोड के बगल से कहीं जाने का इंतजार अवैध हथियार लेकर रह रहे है। सूचना की तस्दीक हेतु वह सौंधा मोड पर पहुंचा था तो वहां खडे दो व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगे थे जिन्हें हमराही फोर्स की मदद से पकडा था नाम पता पूछने पर उनमें से एक ने अपना नाम भारत एवं दूसरे ने हरीओम बताया था। तलाशी लेने पर भारत के पेंट की बायी तरफ से कमर में एक 315 वोर का कटटा निकला था कटटा खोलकर देखा था तो उसमें एक जिंदा राउण्ड 315 वोर का मिला था । हरीओम की तलाशी लेने पर उसके पेंट की दाहिनी जेब से एक 315 वोर का जिंदा राउण्ड एवं एक 315 वोर का खोखा मिला था आरोपीगण के पास कटटा कारतूस रखने बाबत

4 आपराधिक प्रकरण क्रमांक:-1427 / 2013

लाईसेंस नहीं था। उसने मौके पर ही साक्षी उग्रसेन एवं जितेन्द्र के समक्ष आरोपी भारत से 315 वोर का कटटा एवं एक जिंदा राउण्ड जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र0पी02 बनाया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने आरोपी हरीओम से 315 वोर का एक जिंदा राउण्ड एवं एक खोखा जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र0पी03 बनाया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। आर्टिकल ए-1 का कटटा एवं ए-2 ए-3 एवं ए-4 के कारतूस वहीं कटटा कारतूस है जो उसने मौके पर आरोपीगण से जप्त किये थे उसने आरोपी भारत को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र0पी04 एवं आरोपी हरीओम को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र0पी05 बनाया था जिनके क्रमशः बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं उसने थाना वापिस आकर आरोपीगण के विरुद्ध प्र0पी09 की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की थी जिसके एसेए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। रोजनामचा वापसी प्र0पी08 है जिसके एसेए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण के पद क्र04 में उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसने आरोपी की तलाशी लेने के पहले अपनी तलाशी नहीं दी थी एवं यह भी व्यक्त किया है कि उसने मौके पर आयुध को शीलबंद किया था। उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि उसने प्र0पी02 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में जप्तशुदा कटटे के आकार प्रकार का वर्णन नहीं किया है।

9. साक्षी आरक्षक जितेन्द्र सिंह गुर्जर आ0सा02 एवं उग्रसेन आ0सा06 ने भी जप्तीकर्ता ए0एस0आई अशोक सिंह तोमर के कथन का समर्थन किया है एवं घटना दिनांक को ए0एस0आई अशोक सिंह तोमर के साथ घटना स्थल पर जाने एवं आरोपी भारत से 315 वोर का कटटा तथा एक कारतूस एवं आरोपी हरीओम से 315 वोर का एक जिंदा राउण्ड एवं एक खाली राउण्ड जप्त करने बाबत प्रकटीकरण किया है। आरक्षक जितेन्द्र सिंह गुर्जर आ0सा02 ने जप्ती पंचनामा प्र0पी02 एवं प्र0पी03 तथा गिरफ्तारी पंचनामा प्र0पी04 एवं 5 के क्रमशः एसेए भाग पर तथा आरक्षक उग्रसेन आ0सा06 ने जप्ती पंचनामा प्र0पी02 एवं 3 तथा गिरफ्तारी पंचनामा प्र0पी04 एवं 5 के क्रमशः सी से सी भाग पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है।

10. प्र0आर0 राजकिशोरसिंह आ0सा01 ने जप्त शुदा आयुध की जांच रिपोर्ट प्र0पी01 का प्रमाणित किया है। आर्म्स क्लर्क दिनेश कुमार ओझा आ0सा03 ने प्र0पी07 के अभियोजन स्वीकृति

5 अपराधिक प्रकरण क्रमांक:-1427 / 2013

आदेश को प्रमाणित किया है एवं प्र०आर० ब्रजराज सिंह आ०सा०५ ने विवेचना को प्रमाणित किया है।

11. तर्क के दौरान बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा व्यक्त किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षीगण के कथन परस्पर विरोधाभासी रहे हैं। अतः अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है।

12. सर्व प्रथम न्यायालय को यह विचार करना है कि क्या आरोपीगण के विरुद्ध आयुध अधिनियम की धारा 39 के अंतर्गत अभियोजन चलाने की स्वीकृति विधिनुसार ली गई है। उक्त संबंध में साक्षी दिनेश कुमार ओझा आ०सा०३ ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि दिनांक 26/04/13 को थाना गोहद चौराहा के आरक्षक ब्रजेन्द्र सिंह द्वारा थाने के अप०क०६३/13 की कैस डायरी जप्तशुदा आयुध सहित अभियोजन स्वीकृति प्राप्त करने हेतु जिला दंडाधिकारी कार्यालय भिण्ड में प्रस्तुत की गई थी एवं तत्कालीन जिला दंडाधिकारी श्री अखलेश श्रीवास्तव द्वारा कैस डायरी एवं जप्तशुदा आयुध के अवलोकन पश्चात आरोपी भारत एवं हरीओम के विरुद्ध अभियोजन चलाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी। उक्त अभियोजन स्वीकृति आदेश प्र०पी०७ है जिसके एसेए भाग पर तत्कालीन जिला दंडाधिकारी श्री अखलेश श्रीवास्तव के हस्ताक्षर हैं एवं बी से बी भाग पर उसके लघु हस्ताक्षर हैं। उसने श्री अखलेश श्रीवास्तव के अधीनस्थ कार्य किया है इसलिये वह उनके हस्ताक्षरों से परिचित है। उक्त साक्षी का बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा पर्याप्त प्रतिपरीक्षण किया गया है परन्तु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी का कथन तात्त्विक विरोधाभासों से परे रहा है।

13. इस प्रकार साक्षी दिनेश कुमार ओझा आ०सा०३ ने अपने कथन में स्पष्ट रूप से यह बताया है कि पुलिस थाना गोहद चौराहा द्वारा प्रकरण में जप्तशुदा आयुध कैस डायरी सहित तत्कालीन जिला दंडाधिकारी श्री अखलेश श्रीवास्तव के समक्ष प्रस्तुत किये गये थे एवं श्री अखलेश श्रीवास्तव ने जप्तशुदा आयुध के अवलोकन पश्चात आरोपी भारत सिंह एवं हरीओम के विरुद्ध अभियोजन चलाने की स्वीकृति दी थी। उक्त साक्षी का यह कथन अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान तात्त्विक विरोधाभासों से परे रहा है। बचाव पक्ष की ओर से उक्त तथ्यों के खण्डन में कोई विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त बिन्दु पर आई साक्ष्य से यह

6

आपराधिक प्रकरण क्रमांक:-1427 / 2013

प्रमाणित है कि आरोपी भारत एवं हरीओम के विरुद्ध आयुध अधिनियम की धारा 39 के अंतर्गत अभियोजन चलाने की स्वीकृति विधिनुसार प्राप्त की गई थी।

14. अब न्यायालय को यह विचार करना है कि क्या जप्तशुदा 315 वोर का कटटा एवं दो राउण्ड संचालनीय स्थिति में थे। उक्त संबंध में प्र०आरक्षक राजकिशोरसिंह आ०सा०१ ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि उसने दिनांक 09/04/13 को पुलिस लाईन भिण्ड में थाना गोहद चौराहा केअप०क०63/13 में जप्तशुदा 315 वोर का कटटा एवं दो जिंदा राउण्ड की जांच की थी। जांच के दौरान उसने कटटे का एक्शन चैक किया था कटटा चालू हालत में था उससे फायर किया जा सकता था दोनों राउण्ड से भी फायर किया जा सकता था। उसकी जांच रिपोर्ट प्र०पी०१ है जिसके ऐसे भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण के पद क्र००२ में उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसने कटटे से फायर करके नहीं देखा था।

15. इस प्रकार प्र०आरक्षक राजकिशोर सिंह आ०सा०१ ने अपने कथन में स्पष्ट रूप से यह बताया है कि जप्तशुदा 315 वोरका कटटा एवं दो कारतूस संचालनीय स्थिति में थे यद्यपि उक्त साक्षी द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि उसने कटटे से फायर करके नहीं देखा था परन्तु उक्त साक्षी का यह भी कहना है कि उसने कटटे का एक्शन चैक किया था तथा कटटे का एक्शन सही पाया गया था। प्र०आरक्षक राजकिशोरसिंह आ०सा०१ के कथनों से यह दर्शित है कि उसने जांच के दौरान जप्तशुदा कटटे के कलपुर्जे एवं उसका एक्शन चैक किया था तथा उसने पाया था कि कटटे के सभी कलपुर्जे सही कार्य कर रहे थे उसी आधार पर उसके द्वारा उक्त कटटा संचालनीय स्थिति में होना बताया गया है। जप्तशुदा दो कारतूस भी उसने संचालनीय स्थिति में होना बताया हैं। बचाव पक्ष की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे यह दर्शित होता हो कि जप्तशुदा कटटे का एक्शन सही नहीं था एवं जप्तशुदा कटटा एवं कारतूस से फायर नहीं किया जा सकता था। प्र०आरक्षक राजकिशोर सिंह आ०सा०१ के कथनों से यह स्पष्ट है कि उक्त साक्षी द्वारा जप्तशुदा कटटा एवं दो कारतूस की जांच की गई थी तथा जांच के दौरान उसने कटटा एवं कारतूस संचालनीय स्थिति में पाये थे। बचाव पक्ष की ओर से उक्त तथ्यों के खण्डनमें कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में उक्त बिन्दु पर आई साक्ष्य से यह

7 अपराधिक प्रकरण क्रमांक:-1427 / 2013

प्रमाणित है कि जप्तशुदा 315 वोर की कटटा एवं दो कारतूस संचालनीय स्थिति में थे।

16. अब न्यायालय को यह विचार करना है कि क्या आरोपी भारत सिंह ने 315 वोर का कटटा एवं एक कारतूस तथा आरोपी हरीओम ने एक कारतूस वैध अनुज्ञप्ति के बिना अपने आधिपत्य में रखे थे? उक्त संबंध में जप्तीकर्ता ए0एस0आई अशोक सिंह तोमर आ0सा04 ने अपने कथन में यह बताया है कि घटना दिनांक 17/03/13 को वह प्र0आर0 ब्रजराज सिंह, आरक्षक उदय, आरक्षक उग्रसेन, एवं आरक्षक सतेन्द्र के साथ इलाका गश्त के लिये गया था एवं दौरान गश्त उसे मुखबिर द्वारा आरोपीगण के संबंध में सूचना प्राप्त हुई थी एवं सूचना की तस्दीक हेतु वह घटना-स्थल सौधा मोड पर गया था जहां उसने साक्षी उग्रसेन एवं जितेन्द्र के समक्ष आरोपी भारत से 315 वोर का कटटा एवं एक जिंदा राउण्ड तथा आरोपी हरीओम से 315 वोर का एक जिंदा राउण्ड एवं एक खाली खोखा जप्त किया था। उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि आर्टिकल ए-1 का कटटा तथा आर्टिकल ए-2, ए-3 एवं ए-4 के कारतूस वही कटटा कारतूस है जो उसने आरोपीगण से जप्त किये थे। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह भी व्यक्त किया है कि उसने आरोपीगण की तलाशी लेने के पहले अपनी तलाशी नहीं दी थी परन्तु यह मात्र प्रक्रियात्मक त्रुटि है एवं उक्त त्रुटि से संपूर्ण अभियोजन घटना के विपरीत कोई उपधारणा नहीं की जा सकती है।

17. ए0एस0आई अशोक सिंह तोमर आ0सा04 ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह भी व्यक्त किया है कि उसने जप्तशुदा कटटे का मानचित्र नहीं बनाया था तथा प्र0पी09 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में उसने जप्तशुदा कटटे के आकार प्रकार का वर्णन नहीं किया है परन्तु यहां यह उल्लेखनीय है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट एनसाइक्लोपीडिया नहीं है प्रथम सूचना रिपोर्ट में सभी तथ्यों का वर्णन करना आवश्यक नहीं है। इसके अतिरिक्त यहां यह भी उल्लेखनीय है कि ए0एस0आई अशोक सिंह तोमर आ0सा04 ने अपने कथन में स्पष्ट रूप से यह बताया है कि आर्टिकल ए-1 का कटटा एवं ए-2, ए-3 तथा ए-4 के कारतूस वही कटटा कारतूस है जो उसने मौके पर आरोपीगण से जप्त किये थे। बचाव पक्ष द्वारा उक्त तथ्यों के खण्डन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में मात्र इस आधार पर कि जप्तशुदा आयुध का मानचित्र नहीं बनाया गया है एवं जप्तशुदा आयुध के

8

आपराधिक प्रकरण क्रमांक:-1427 / 2013

आकार प्रकार का वर्णन प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं किया गया है अभियोजन घटना पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है।

18. जप्ती के साक्षी जितेन्द्र सिंह गुर्जर आ0सा02 एवं उग्रसेन आ0सा06 द्वारा भी जप्तीकर्ता ए0एस0आई अशोक सिंह तोमर आ0सा04 के कथन का समर्थन किया गया है एवं घटना दिनांक को ए0एस0आई अशोक सिंह तोमर के साथ घटना-स्थल पर जाने तथा आरोपीगण से कटटा कारतूस जप्त करने बाबत प्रकटीकरण किया गया है। उक्त दोनों ही साक्षियों का बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा पर्याप्त प्रतिपरीक्षण किया गया है परन्तु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त दोनों ही साक्षियों का कथन तुच्छ विसंगतियों को छोड़कर तात्विक विरोधाभाषों से परे रहा है।

19. ए0एस0आई अशोक सिंह तोमर आ0सा04 ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह बताया है कि घटना स्थल सुनसान जगह था जबकि साक्षी जितेन्द्र सिंह गुर्जर आ0सा02 एवं उग्रसेन आ0सा06 द्वारा अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह व्यक्त किया गया है कि घटना स्थल आम रास्ता था जहां आवागमन हो रहा था। इस प्रकार उक्त बिन्दु पर जप्तीकर्ता अशोक सिंह तोमर आ0सा04 के कथन साक्षी जितेन्द्र सिंह गुर्जर आ0सा02 एवं उग्रसेन आ0सा06 के कथन से किंचित विरोधाभाषी रहे हैं परन्तु उक्त तथ्य इतना तात्विक नहीं है जिसके कारण संपूर्ण अभियोजन घटना को संदेहास्पद माना जावे।

20. यहां यह उल्लेखनीय है कि विवेचना के दौरान दिनांक 18/03/13 को प्र0आर0 ब्रजराज सिंह आ0सा05 द्वारा आरोपी भारत से पृच्छताछ कर धारा 27 साक्ष्य विधान का मेमोरेण्डम प्र0पी06 तैयार किया गया है परन्तु चूंकि उक्त मेमोरेण्डम के आधार पर कोई जप्ती नहीं हुई है। ऐसी स्थिति में उक्त मेमोरेण्डम का कोई औचित्य नहीं है परन्तु उक्त आधार पर संपूर्ण अभियोजन घटना पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है।

21. बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा तर्क के दौरान यह भी व्यक्त किया गया है कि प्रकरण में अभियोजन द्वारा रोजनामचा सान्हा विधिवत प्रमाणित नहीं कराया गया है। अतः अभियोजन घटना संदेहास्पद हो जाती है परन्तु बचाव पक्ष अधिवक्ता का यह तर्क स्वीकार योग्य नहीं है। यद्यपि यह सत्य है कि प्रकरण में अभियोजन द्वारा रोजनामचा सान्हा को विधिवत प्रमाणित नहीं कराया गया है

9 आपराधिक प्रकरण क्रमांक:-1427 / 2013

परन्तु बचाव पक्ष की ओर से प्रतिपरीक्षण के दौरान यह प्रश्नगत नहीं किया गया है कि जप्तीकर्ता ए0एस0आई अशोक सिंह तोमर आ0सा04 सुसंगत समय पर घटना-स्थल पर नहीं गये थे उक्त तथ्य को बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा चुनौतित नहीं किया गया है ऐसी स्थिति में मात्र उक्त त्रुटि के कारण संपूर्ण अभियोजन घटना को संदेहास्पद नहीं माना जा सकता है।

22. बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क किया गया है कि प्रकरण में किसी स्वतंत्र साक्षी को गवाह नहीं बनाया गया है। आरोपीगण के विरुद्ध मात्र पुलिस कर्मचारियों द्वारा साक्ष्य दी गई है अतः अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है परन्तु बचाव पक्ष अधिवक्ता का यह तर्क भी स्वीकार योग्य नहीं है। पुलिस अधिकारियों के कथनों की स्वतंत्र साक्षियों से सम्पुष्टि का जो नियम है वह विधि का न होकर प्रज्ञा का है। यदि पुलिस कर्मचारियों के कथन अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान तात्त्विक विरोधाभाषों से परे रहते हैं तो मात्र इस आधार पर उनके कथनों का अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता है कि उनके कथनों की पुष्टि किसी स्वतंत्र साक्षी द्वारा नहीं की गई है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि सामान तौर पर जनता स्वयं को आपराधिक मामले से दूर रखती है इसलिये मात्र जनता के किसी साक्षी को गवाह न बनाने से अभियोजन घटना संदेहास्पद नहीं हो जाती है।

23. प्रस्तुत प्रकरण में ए0एस0आई अशोक सिंह तोमर आ0सा04 एवं जप्ती के साक्षी जितेन्द्र सिंह गुर्जर आ0सा02 एवं उग्रसेन आ0सा06 के कथन अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान तात्त्विक विरोधाभाषों से परे रहे हैं। आरोपीगण की ओर से उक्त साक्षियों के कथनों के खण्डन में कोई विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है ऐसी स्थिति में मात्र पुलिस कर्मचारी होने के कारण उक्त साक्षीगण के कथनों पर अविश्वास नहीं किया जा सकता है। उक्त संबंध में न्यायदृष्टांत परमजीत वि0 स्टेट दिल्ली प्रशासन (2003) -5 एस0सी0सी0 297 भी अवलोकनीय है जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि पुलिस अधिकारी की साक्ष्य को भी अन्य साक्षीगण की साक्ष्य की तरह लेना चाहिये। विधि में ऐसा कोई नियम नहीं है कि अन्य साक्षीगण की पुष्टि के अभाव में पुलिस अधिकारी की साक्ष्य पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। न्यायदृष्टांत बाबूलाल वि0 म0प्र0राज्य 2004 (2) जे0एल0जे0425 में माननीय म0प्र0 उच्च न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया

गया है कि पुलिस के गवाहों की साक्ष्य को यांत्रिक तरीके से खारिज करना अच्छी न्यायिक परम्परा नहीं है। ऐसी साक्ष्य की भी सामान्य साक्षी की तरह छानबीन करके उसे विचार में लेना चाहिये। प्रस्तुत प्रकरण में जप्तीकर्ता ए0एस0आई अशोक सिंह तोमर आ0सा04 एवं साक्षी आरक्षक जितेन्द्र सिंह आ0सा02 एवं आरक्षक उग्रसेन आ0सा06 के कथन अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान तात्त्विक विरोधाभाषों से परे रहे हैं। बचाव पक्ष की ओर से उक्त साक्षीगण के कथनों के खण्डन में कोई विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में उक्त साक्षीगण के कथनों पर अविश्वास नहीं किया जा सकता है।

24. ए0एस0आई अशोक सिंह तोमर आ0सा04 जो कि जप्तीकर्ता है ने अपने कथन में ६ टना दिनांक को ग्राम सौंधा के मोड़ हाईवे रोड पर आरोपी भारत सिंह एक 315 वोर का कटटा एवं एक कारतूस तथा आरोपी हरीओम से एक 315 वोर का जिंदा राउण्ड एवं एक खाली खोखा जप्त करना बताया है। उक्त साक्षी द्वारा यह भी व्यक्त किया गया है कि आर्टिकल ए -1 का कटटा एवं आर्टिकल ए-2, ए-3 एवं ए-4 के कारतूस वही कटटा कारतूस है जो उसने आरोपीगण से मौके पर जप्त किये थे। जप्ती पंचनामा प्र0पी02 में भी आरोपी भारत से 315 वोर का कटटा एवं एक कारतूस तथा जप्ती पंचनामा प्र0पी03 में आरोपी हरीओम से 315 वोर का एक जिंदा कारतूस एवं एक खाली खोखा जप्त किये जाने का उल्लेख है। इस प्रकार जप्तीकर्ता ए0एस0आई अशोक सिंह तोमर आ0सा04 के कथनों की पुष्टि जप्ती पंचनामा प्र0पी02 एवं प्र0पी03 से भी हो रही है। साक्षी जितेन्द्र सिंह आ0सा02 एवं उग्रसेन आ0सा06 ने भी जप्तीकर्ता अशोक सिंह आ0सा04 के कथन का पूर्णतः समर्थन किया है एवं आरोपी भारत से 315 वोर का कटटा एवं एक कारतूस तथा आरोपी हरीओम से 315 वोर का एक जिंदा कारतूस जप्त किये जाने बाबत कथन किया है। उक्त साक्षीगण के कथन अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान तात्त्विक विरोधाभाषों से परे रहे हैं। उक्त साक्षीगण के कथनों की पुष्टि जप्ती पंचनामा प्र0पी02 एवं प्र0पी03 से भी हो रही है। ऐसी स्थिति में उक्त साक्षीगण के कथनों पर अविश्वास नहीं किया जा सकता है।

25. बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा यह तर्क किया गया है कि पुलिस द्वारा आरोपीगण को मिथ्या अपराध में संलिप्त किया गया है परन्तु आरोपीगण द्वारा लिये गये बचाव के संबंध में कोई

11 **आपराधिक प्रकरण क्रमांक:-1427 / 2013**

विश्वसनीय साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई हैं। बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा ए0एस0आई अशोक सिंह तोमर आ0सा04 को प्रतिपरीक्षण के दौरान यह सुझाव दिया गया है कि वह आरोपीगण से दूध लेता था एवं दूध के पैसे न देने पड़े इस कारण उसके द्वारा आरोपीगण को मिथ्या अपराध में संलिप्त किया गया है उक्त सुझाव को साक्षी द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है। बचाव पक्ष की ओर से लिये गये उक्त सुझाव के संबंध में कोई विश्वसनीय साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में आरोपीगण द्वारा लिया गया उक्त बचाव स्वीकार योग्य नहीं हैं।

26. इस प्रकार उपरोक्त चरणों में की गई विवेचना से यह दर्शित है कि ए0एस0आई अशोक सिंह तोमर आ0सा04 ने घटना दिनांक को आरोपी भारत से एक 315 वोर का कटटा एवं एक कारतूस तथा आरोपी हरीओम से 315 वोर का एक जिंदा कारतूस एवं एक खोखा जप्त होना बताया है। उक्त साक्षी के कथन का समर्थन जप्ती के साक्षी जितेन्द्र सिंह आ0सा02 एवं उग्रसेन आ0सा06 द्वारा भी किया गया है। उक्त साक्षीगण के कथन अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान तात्त्विक विरोधाभाषों से परे रहे हैं। बचाव पक्ष की ओर से उक्त साक्षीगण के कथनों के खण्डन में कोई विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में उक्त साक्षीगण के कथनों पर अविश्वास नहीं किया जा सकता है।

27. फलतः समग्र अवलोकन से अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि दिनांक 17/03/13 को 17:30 बजे ग्वालियर भिण्ड हाईवे ग्राम सौंधा मोड़ पर सार्वजनिक स्थल पर आरोपी भारत ने एक संचालनीय स्थिति वाला आयुध 315 वोर का कटटा एवं एक जिंदा कारतूस तथा आरोपी हरीओम ने 315 वोर का एक जिंदा कारतूस वैध अनुज्ञप्ति के बिना अपने आधिपत्य में रखे। फलतः यह न्यायालय आरोपी भारत एवं हरीओम को आयुध अधिनियम की धारा 25 (1) (1-बी) (ए) के अंतर्गत सिद्धदोष पाते हुये दोषसिद्ध करती हैं।

28. सजा के प्रश्न पर सुने जाने हेतु निर्णय लिखाया जाना अस्थायी रूप से स्थगित किया गया।

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद

जिला भिण्ड म0प्र0

पुनश्च—

29. आरोपीगण एवं उनके विद्वान अधिवक्ता को सजा के प्रश्न पर सुना गया आरोपीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा व्यक्त किया गया कि आरोपीगण का यह प्रथम अपराध है। आरोपीगण ने नियमित रूप से विचारण का सामना किया है। अतः आरोपीगण को कम से कम दंड से दंडित किया जावे।

30. आरोपीगण के अधिवक्ता के तर्क पर विचार किया गया प्रकरण का अवलोकन किया गया प्रकरण के अवलोकन से दर्शित होता है कि अभियोजन द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध कोई पूर्व दोषसिद्धि अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है, आरोपीगण द्वारा नियमित रूप से विचारण का सामना किया गया है परन्तु आरोपीगण वयस्क व्यक्ति है एवं अपने कृत्य के परिणाम को समझने में सक्षम है आरोपीगण द्वारा वैध अनुज्ञप्ति के बिना आग्नेय आयुध अपने आधिपत्य में रखे गये हैं। ऐसी स्थिति में आरोपीगण को शिक्षाप्रद दंड से दंडित किया जाना आवश्यक है। फलतः यह न्यायालय आरोपी भारत एवं हरीओम में से प्रत्येक को आयुध अधिनियम की धारा 25 (1) (1-बी) (ए) के अंतर्गत एक-एक वर्ष के सश्रम कारावास एवं दो-दो हजार रुपये के अर्थदंड तथा अर्थदंड की राशि में व्यतिक्रम होने पर दो-दो माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास के दंड से दंडित करती हैं।

31. आरोपीगण पूर्व से जमानत पर है उनके जमानत एवं मुचलके भारहीन किये जाते हैं।

32. प्रकरण में जप्तशुदा 315 वोर का कटटा एवं कारतूस अपील अवधि पश्चात विधिवत निराकरण हेतु जिला दंडाधिकारी भिण्ड की ओर भेजे जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपील न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जावे।

33. आरोपीगण जितनी अवधि के लिये न्यायिक निरोध में रहे हैं उनके संबंध में द0प्र0स0 की धारा 428 के अंतर्गत ज्ञापन तैयार किया जावे। आरोपीगण द्वारा न्यायिक निरोध में बिताई गई अवधि उनकी सारवान सजा में समायोजित की जावे। आरोपी भारत एवं हरीओम प्रकरण में दिनांक 19/03/13 से दिनांक 22/03/13 तक न्यायिक निरोध में रहे हैं।

13

आपराधिक प्रकरण क्रमांक:-1427 / 2013

34. तदनुसार सजा वारंट बनाये जावे।

स्थान – गोहद

दिनांक – 12/01/2017

निर्णय आज दिनांकित एवं हस्ताक्षरित कर
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

सही/-

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

गोहद जिला भिण्ड(म0प्र0)

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

सही/-

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

गोहद जिला भिण्ड(म0प्र0)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
कीय / विधिक उपयोग हेतु अम